

Line Fee Paid
GRN No. 2002024384
वायित भूमि से प्लॉट
आ... 1128 मुख्य है।



प्रक्रिया क्रमांक	प्रक्रिया क्रमांक	प्रक्रिया क्रमांक	प्रक्रिया क्रमांक
0.11.2020	0.11.2020	0.11.2020	0.11.2020
मोदीनगर नगरपालिका	मोदीनगर नगरपालिका	मोदीनगर नगरपालिका	मोदीनगर नगरपालिका
गोपनीय अधिकारी	गोपनीय अधिकारी	गोपनीय अधिकारी	गोपनीय अधिकारी
22.9.2020	22.9.2020	22.9.2020	22.9.2020


A (1) 300/-
L. L. R.
P. Fee

300/-
(विक्रय-पत्र)

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री हृदय कुमार तिवारी पिता का नाम स्वर्ग भागेश्वर तिवारी,
जाति कान्य कुब्ज ब्राह्मण, धर्म-हिन्दू, निवासी मौजा कुमाड
उर्फ बड़कागांव, पत्रालय रजवाडीह, थाना सदर मेदिनीनगर,
जिला पलामू, राज्य झारखण्ड, पेशा-खेती व व्यवसाय,
राष्ट्रीयता- भारतीय। आधार नम्बर 6046 0756 5807
मो०नं०-8709570733, PAN NO APFPT0740J विक्रेता।

(2) लेख्यधारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री विनायक शर्मा पिता का नाम श्री लक्ष्मी कुमार शर्मा,
जाति ब्राह्मण, धर्म हिन्दू, निवासी मौजा बारालोटा,
(सुमीत्रालय भवन), पत्रालय जी०एल०ए० कॉलेज कैम्पस,
थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, राज्य झारखण्ड, पेशा-
नौकरी, राष्ट्रीयता-भारतीय। आधार नं० 7128 4535 8372
मो०नं० 7903876059 PAN NO. GJKPS1755P क्रेता।

प्रक्रिया क्रमांक	प्रक्रिया क्रमांक	प्रक्रिया क्रमांक	प्रक्रिया क्रमांक
0.11.2020	0.11.2020	0.11.2020	0.11.2020
मोदीनगर नगरपालिका	मोदीनगर नगरपालिका	मोदीनगर नगरपालिका	मोदीनगर नगरपालिका
गोपनीय अधिकारी	गोपनीय अधिकारी	गोपनीय अधिकारी	गोपनीय अधिकारी
22.9.2020	22.9.2020	22.9.2020	22.9.2020

- (3) लेख्य प्रकारः—निर्विवाद विक्रय—पत्र केवाला (Sale Deed)
- (4) देय मूल्यः—गो 10,00,000—(दरा लाख रुपये) मात्र।
निर्धारित मूल्यः—गो 10,00,000 (दरा लाख रुपये) मात्र।
- (5) न्यूनतम दर आवासीय — 19,800/- रु० प्रति डी०

लेख्य मू०-सम्पत्तिः—
गवाजी ०-११ (ग्यारह) डी० जगीन आवासीय भूमि है जिसमें गृह
निर्माण हेतु क्रय की जा रही है। उपर्यूक्त जमीन मौजा रजवाडीह,
अंचल एवं थाना सदर मेदिनीनगर, जिला पलामू अन्दर अवस्थित
है। हकियत में लेख्यकारी को यह जमीन अपना रैयती सम्पत्ति है,
जो स्वयं अपने नाम से खरीदगी द्वारा प्राप्त है जिसकी वसिका सं०
2245, भौलुम नं० 68, बुक नं० १, पृष्ठ सं० ९९ से १०८ में दर्ज है।
जिसे दिनांक 13.03.2004 ई० को परमेश्वर दूबे पिता स्व० मथुरा
दूबे, निवास स्थान मौजा रजवाडीह, थाना—सदर मेदिनीनगर, जिला
पलामू से क्रय कर निर्विवाद रूप से दखल कब्जे में कायम है। तथा
विक्रय भूमि की लगान नामांतरण वाद सं० 11/04-05 के वज्रिये
लगान निर्धारण होकर जमाबंदी पृष्ठ सं० 122 वर्तमान भाग सं० ५
पर लेख्यकारी स्वयं अपने नाम से सलाना मालगुजारी की रसीद
प्राप्त करते हैं। जिसका अवर वो जिला निबंधन कार्यालय मोकाम
मेदिनीनगर, पलामू है। लेख्यकारी खास अपना खरीदगी भूमि को
संपूर्ण भाग (पार्ट प्लॉट) लेख्यधारी (श्री विनायक शर्मा) पिता श्री
लक्ष्मी कुमार शर्मा के पास बिक्री करते हैं तथा लिखित रूप से यह
भी घोषणा करते हैं कि उपर्यूक्त मू०-सम्पत्ति के हस्तांतरण से
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन
नहीं हो रहा है।

तफसील भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हल्का नं०
रजवाडीह	202	51	1	02

होनं० 117 अंचल वो थाना मेदिनीनगर जिला पलामू।

२२.३.२०२०

खाता नं०	प्लॉट नं०	रक्का ए० डी०	चौहाई
73 (तिहतर)	1158 (ग्यारह सौ अंठावन)	0-11 (ग्यारह डी०)	उ०- पवकी राढ़क द०- रासरवती देवी पति श्री कृष्ण विहारी तिवारी पु०- विश्राम दूबे प०- आहर पिण्ड प्लॉट 1157

पैमाईस :- उत्तर से दक्षिण की लम्बाई पूरब मूजा 81 फीट 0 ईच तथा पश्चिम मूजा 95 फीट 0 ईच है एवं पूरब से पश्चिम की चौड़ाई उत्तर मुजा 50 फीट 0 ईच तथा मध्य मुजा 55 फीट 0 ईच तथा दक्षिण मुजा 63 फीट 0 ईच है कुल 4791.6 वर्गफीट होता है। विक्रय भूमि का नजरी नक्शा बनाकर मूल वसिका में संलग्न की जा रही है, जिसमें विक्रय भूमि को लाल रंग से दिखाई गई है। यह नजरी नक्शा मुल दस्तावेज का अभिन्न अंग वो अंश है।

सलाना मालगुजारी—मो० 1 (एक रुपया) अलावे शेष।

लगान पाने वाला—झारखण्ड सरकार वजरिये अंचलाधिकारी
मेदिनीनगर, जिला पलामू।

लेख्यकारी का कथन है कि विक्रय पत्र अन्दर वर्णित की गयी भूः सम्पति हमारी रैयती सम्पति है, जो स्वयं अपने नाम से खरीदगी वजरिये विक्रय पत्र केवाला द्वारा प्राप्त है। जिसका संपूर्ण विवरण वसीका अंदर खाना सं० 5 में वर्णित की गई है जिसपर मैं निर्विवाद रूप से दखल कब्जे में कायम हूं।

उपर्युक्त विक्रय भूमि पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद, व्यवहार न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लम्हित नहीं है। तथा इस जमीन पर मैं किसी भी प्रकार की ऋण सरकारी बैंक या गैरसंस्थान से नहीं लिया हूं और ना ही हमारी जमीन बन्धक

(Mortgage) में रखी गयी है। संक्षेप में हमारी जमीन हकियत के सभी दोषों से पूर्णतः मुक्त वो निरकलंक है।

यह कि वर्तमान समय हमें लहाव की जमीन खरीदने वास्ते काफी रूपये की आवश्यकता है। जिसे प्रबन्ध करना बगैर जायदाद सम्पति बिक्री किये अन्य किसी दुसरे मद से संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने रामाम बातों पर विचार-विमर्श कर वो घर-परिवार से राय-मशविरा कर सबों की सहमती से ही अपनी खरीदगी संपति जो इस वर्सीका में दर्ज हैं। इसे बिक्री करने हेतु पास पढ़ोस में चर्चा चलाये तथा अन्य व्यक्तियों से बातचित किये। परिणाम स्वरूप कई क्रेतागण आये तथा अलग-अलग मूल्यांकन किये। इसी प्रकार लेख्यधारी श्री विनायक शर्मा भी आये एवं हमदोनों पक्ष अर्थात् बिक्रेता एवं क्रेता के बीच बिक्रय मूमि का कुल कीमत 10,00,000 (दस लाख रुपये)। मैं तय हुआ। यह कीमत अन्य क्रेतागण के अलावा अधिक वो वर्तमान समय के मुताबिक उचित है। मैं वाजिब मूल्य को देखकर उपर्युक्त क्रेता के साथ जमीन का पक्का सौदा तय कर दिये। जो हर दृष्टिकोण से उचित वो न्यायसंगत है।

मैं अपनी तन मन की पूरी सेहत में हूँ हमें लेख्यधारी (श्री विनायक शर्मा) के द्वारा किसी भी प्रकार की जोर दबाव नहीं है, मैं अपने स्वेच्छा तथा हार्दिक प्रसन्नता से अपना खरीदगी जमीन मौजा रजवाडीह का मवाजी 0-11 डी० (म्यारह) डी० जमीन लेख्यधारी श्री विनायक शर्मा के साथ बिक्री किये और कुल जरसम्मन की राशि प्राप्त कर अपना सम्पूर्ण स्वामित्व, हक वो हकियत वो दखल कब्जा, सुविधायें वर्तमान में थी अथवा भविष्य में प्राप्त होती सो सब ज्यों के त्यों यथावत लेख्यधारी (श्री विनायक शर्मा) को सौंप कर जमीन का मालिक (स्वामी) बना दिए, तथा दखल कब्जा भी दे दिये। क्रेता को आज के तिथि से ही सम्पूर्ण हकियत हक वो संपूर्ण

अधिकार विद्यमान हो गई तथा मैं इनके दखल-कब्जे को पूर्णरूप से सम्पूष्ट करता हूँ।

उपरोक्त जमीन पर क्रेता खुद गय वारिसान अपना दखल कब्जा कर जिस सुरत से चाहे, उपयोग करे तथा चाहरदीवारी दे या नाली निर्माण कराये अथवा गृह निर्माण कर निवास या व्यवसाय करे या समयानुकूल रेहन, दान, बिक्री इत्यादि अर्थात् क्रेता अपना जो उचित मुनासिब समझे सो करे इसके लिए हमें या हमारे किसी भी वारिसान को कुछ भी उज्ज या ऐतराज नहीं है और न ही भविष्य में कभी आपत्ति होगी। यदि करते हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई बिक्रिय पत्र केवल के विरुद्ध गैर कानूनी वो नाजायज समझा जायेगा। जो व मुकाबले बे—असर होगी।

मैं अपना बिक्रिय भूमि का कुल कीमत पहले ही लेख्यधारी श्री विनायक शर्मा के द्वारा बैंकिंग प्रणाली के माध्यम ड्राफ संख्या 4161..... के द्वारा मो० 10,00,000 (दस लाख रुपये) शाखा बैंक ऑफ इंडिया, मेदिनीनगर, पलामू से वसूल पा चुका हूँ। अब कीमत मद में क्रेता (श्री विनायक शर्मा) के पास कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

मैं लेख्यधारी को यह विश्वास दिलाये हैं कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति न सरकारी सम्पत्ति है और ना ही सरकार के द्वारा सैनिक अथवा असैनिक कार्यों के लिए अधिग्रहण किया गया है और यह सम्पत्ति बी० सी० सी० एल० एवं ई० सी० सी० एल० तथा रेलवे की सम्पत्ति नहीं है। इस सम्पत्ति को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के लिए अर्जित नहीं किया गया है और ना ही यह बंधक में रखा गया है। यह सम्पत्ति सिलिंग से मुक्त है और मठ, मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद गुरुद्वारा, आदिवासी खाते, कन्स्ट्रक्शन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि की नहीं है।


अब लेख्यधारी को चाहिए कि अपने नाम की वसिका निबंधन होने के पश्चात झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल कार्यालय

गेदिनीनगर, जिला पलामूर्ग में पेश कर स्वयं अपने नाम से नामांतरण
करालें तथा सलाना मालगुजारी की रसीद प्राप्त किया करें।

अतः मैं अपनी रखेच्छा वो हार्दिक प्रशान्ति से अपना
खरीदगी जमीन का बिक्रय पत्र केवाला लेख्याधारी (श्री विनायक
शर्मा पिता का नाम श्री लक्ष्मी कुमार शर्मा) के पक्ष में लिख दिये कि
समय पर काम आवे एवं भविष्य में प्रमाण मौजूद रहें।

आज दिनांक— 22.09.2020
टंकक

सुनिल कुमार



मैं दोनों पक्षगणों के निर्देशानुसार यह बिक्रय पत्र तैयार किया
एवं वसिका अन्दर वर्णित मजमून दोनों पक्षगणों के सामने पढ़
कर समझा दिया। दोनों पक्षगण बोले ठीक है। तथा बिक्रय
पत्र में जिन-जिन व्यक्ति की छाया चित्र लगी हुई है इन
लोगों के बाये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने
लिया गया है।

कातिब— कृष्ण कुमार किशोर राधाकृष्ण किशोर दस्तावेज